



महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA, HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2014-15/OG-GO/

-01-2015

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
Telangana
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 107% from 01.07.2014 to pensioners/family
pensioners. *with effect from 1-10-14*
Ref: 1. Govt of Govt. of Madhya Pradesh order No.F9-1/2014/Rule/IV
dt 05.12.2014.

I am herewith enclosing a copy of Govt. orders downloaded by this office in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully


Sr.Accounts Officer

8/12

Copy to

The Joint Director
Pension Payment Office
MJ Road, Nampally
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr.Accounts Officer

R/2598/719

XX Already downloaded
from system

359509

2/2/15

By Regd. Post

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II MADHYA PRADESH, GWALIOR

No. PR/General/SS/ 1958 - 1991

Date :- 6-1-2015

नमस्कार (To, ए) का कार्यालय
Office of the Accountant General (A&E)
S.No. INWARD
12 JAN 2015
NO.
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
Andhra Pradesh & Telangana
हैदराबाद/Hyderabad-500 004

S.No.	Name of the Office
1.	Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad - 380 009
2.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Saharanpur Road, Majara, Dehradun - 248 171
3.	Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar - 751 001
4.	Accountant General (A&E), West Bengal, Kolkata - 700 001
5.	Accountant General (A&E), Maharashtra, Mumbai - 400 020
6.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, Allhabad - 211 001
7.	Accountant General (A&E), Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad - 500 004
8.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati - 781 029
9.	Accountant General (A&E), Bihar, Patna - 800 001
10.	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi - 834 002
11.	Accountant General (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram - 695 039
12.	Accountant General (A&E), Karnataka, Bangalore - 560 001
13.	The Director of Audit & Pension, Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun - 791 110
14.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shillong - 793 001
15.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, Chennai - 600 018
16.	Accountant General (A&E), Sikkim, Gangtok - 737 101
17.	Accountant General (A&E), Manipur, Imphal - 795 001
18.	Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima - 797 001
19.	Accountant General (A&E), Tripura, Agarthala - 799 006
20.	Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Srinagar - 190 009
21.	Accountant General (A&E), Punjab & U.T., Chandigarh - 160 017
22.	Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh - 160 047
23.	Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Shimla - 171 003

PM

51

195
512

OGP

24.	Accountant General (A&E), Rajasthan, Jaipur – 302 005
25.	Accountant General (A&E), Maharashtra, Nagpur – 440 001
26.	Accountant General (A&E), Chhattisgarh, Raipur – 493 111
27.	Directorate of Pension, Govt. of Assam, Housefed Complex, Beltola, Guwahati
28.	Accountant General (A&E), Mizoram, Aizawl – 796 001
29.	Chief Controller of Accounts, Accounts & Treasuries, Mizoram, Aizawl
30.	P.A.O. – 5, New Court Building, Tis Hazari, Delhi – 110 054
31.	Asstt. Military Attache (Pension), Embassy of India, Kathmandu, Nepal
32.	Chief Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi – 110 001
33.	Directorate of Accounts. Govt. of Goa, Panaji – 403 001
34.	Directorate of Accounts & Treasuries, New Municipal Road, Kumarapurallam, Puducherry – 605 001

Sub.:—Sanction of 7% dearness relief on the pension of the Pensioners / Family Pensioners of the State of Madhya Pradesh – revised rates admissible from 01.10.2014.

Ref.:—Govt. of Madhya Pradesh, Finance Department Order No. F 9-1/2014/Rule/IV dated 05.12.2014.

Sir,

Inviting a reference to the subject mentioned above, I am to enclose herewith the above Government Order revising the rate of dearness relief @ 107% w.e.f. 01.10.2014 payable on the pension of the Pensioners / Family Pensioners of the State of Madhya Pradesh. All the Treasury Officers under your jurisdiction may be directed suitably to pay dearness relief as specified in the Govt. Order cited above.

Receipt of the circular may kindly be acknowledged.

Encl :- As above.

AK Mishra
Sr. Accounts Officer / P.R.

①

**Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya - Bhopal**

No. -F 9- 1 /2014/Rule/IV

Bhopal, dated 05 December, 2014

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Gwalior,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Department,
All Collectors,
Madhya Pradesh

Sub - Sanction of 7% dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Madhya Pradesh.

The State Government had sanctioned 100% dearness relief w.e.f. 01-01-2014 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. F 9-1/2014/Rule/IV dated 30 April, 2014. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to the pensioner's aged 80 years or above shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-10-2014 (Pension/family pension for the month of October, 2014 paid in November, 2014)	107 % of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.F.B.6/43/76/R-II/IV dated 5.10.76 . The dearness relief on the pension /family pension shall not be payable in the cases where the pensioners/ family pensioners are appointed/re- appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No.F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27.7.76 read with Memo No. No.F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2.5.77 and Memo No. F-12-5/2007/Rule/IV dated 19.4.2007

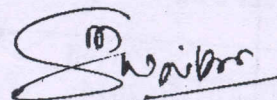
3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board /Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 5-1-2007.

5. Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the M.P.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E.-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Madhya Pradesh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh



(Milind Waikar)

Additional Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department

**मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल**

क्रमांक : एफ 9-1/2014/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 दिसम्बर, 2014

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर 7% मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2014/नियम/चार दिनांक 30 अप्रैल, 2014 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01-01-2014 से मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 100% की दर से मंहगाई राहत दी जा रही है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत दी जाये। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-10-2014 से (माह अक्टूबर, 2014 की पेंशन/परिवार पेंशन जो नवम्बर, 2014 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 107%

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवाषिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त / पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति / पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/ नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रं. एफ 12-5/2007/नियम/चार दिनांक 19 अप्रैल, 2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

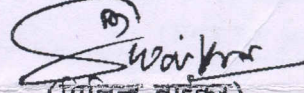
3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं ।

5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों /उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, मध्यप्रदेश से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मिलिन्द वाईकर)

अपर सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर (100 प्रतियां)।
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
17. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
18. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवन मण्डी बोर्ड परिसर, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011.
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
22. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्ट्स डिपार्टमेण्ट्स, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400051, (100 प्रतियां)।
23. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं.-6, मैदामिल के सामने, भोपाल -462012, (10 प्रतियां)।
24. उप महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मुख्यालय, 5-यशवंत निवास रोड, इंदौर -452001, (10 प्रतियां)।
25. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जो, बैंक ऑफ इण्डिया हाऊस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (300 प्रतियां)।
26. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (200 प्रतियां)।
27. उप मुख्य प्रबंधक, , सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, बम्बई मार्केट, प्रथम तल, सी-विंग, जी.ई.रोड, रायपुर-492001, (100 प्रतियां)।
28. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल-462011 (75 प्रतियां)।
29. चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-462011, (300 प्रतियां)।
30. सहायक मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, रीजनल ऑफिस, 107, प्रथम तल, बैरसिया रोड, भोपाल-462001, (200 प्रतियां)।
31. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रीजनल आफिस, 1/14 जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (150 प्रतियां)।
32. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आरसीसी 1/4 जेल रोड एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल -462011, (45 प्रतियां)।
33. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016, (150 प्रतियां)।
34. मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल कम्प्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर, गोविन्दपुरा, भोपाल -462024 (10 प्रतियां)।
35. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, 20 स्नेहनगर, इन्दौर-452001 (65 प्रतियां)।
36. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, 1227 नेपीयर टाऊन, जबलपुर-482001 (65 प्रतियां)।
37. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, मदीना मंजिल, कचहरी चौक, जेल रोड, रायपुर-492001 (65 प्रतियां)।

38. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, 12-12ए, अनूपनगर, एल.आई.सी. बिल्डिंग, एम.आई.जी. चौराहा, इन्दौर-452001(55 प्रतियां)
39. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरूनानक मार्केट ज्योति टाकीज के पास, नेपियर टाऊन जबलपुर-482001(55 प्रतियां)
40. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सिरमोर चौराहा, इलाहबाद रोड, पोस्ट बाक्स नम्बर-10 , रीवा-486001 (60 प्रतियां)
41. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पोस्ट बाक्स नम्बर 23 महावीर काम्पलेक्स, के.के. रोड, मौधपाड़ा, रायपुर (छत्तीसगढ़) (40 प्रतियां)

की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4-1/81/नि.-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अप्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अप्रेषित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 से 41 हेतु) ।

42. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात-382 010
43. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैद्राबाद-500 001
44. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001
45. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
46. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002
47. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम, 695 039
48. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई, 600 018
49. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020
50. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001
51. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001
52. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
53. वित्त सचिव, हरयाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
54. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
55. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
56. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
57. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता, 700 001
58. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मिर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
59. वित्त सचिव, मणीपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल, 795 001
60. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
61. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
62. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
63. वित्त सचिव, गोवा-दिव एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
64. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001
65. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गान्ताक, 717 101
66. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादुन-248 001(सरल क्रमांक 42 से 66 तक 2 प्रतियों सहित)
67. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लॉक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001 (100 प्रतियां)
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, राजकोट 360 001 (100 प्रतियां)
69. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 (250 प्रतियां)
70. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 (50 प्रतियां)
71. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793 001(20 प्रतियां)
72. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मणीपूर, इम्फाल 795 001 (20 प्रतियां)
73. प्रधान महालेखाकार, -2, (लेखा एवं हक) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001(75 प्रतियां)

38. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, 12-12ए, अनूपनगर, एल.आई.सी. बिल्डिंग, एम.आई.जी. चौराहा, इन्दौर-452001(55 प्रतियां)
 39. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरूनानक मार्केट ज्योति टाकीज के पास, नेपियर टाऊन जबलपुर-482001(55 प्रतियां)
 40. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सिरमौर चौराहा, इलाहाबाद रोड, पोस्ट बाक्स नम्बर-10 , रीवा-486001 (60 प्रतियां)
 41. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पोस्ट बाक्स नम्बर 23 महावीर काम्पलेक्स, के.के. रोड, मौधपाड़ा, रायपुर (छत्तीसगढ़) (40 प्रतियां)
- की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4-1/81/नि.-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 से 41 हेतु) ।
42. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात-382 010
 43. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैद्राबाद-500 001
 44. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001
 45. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
 46. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002
 47. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम, 695 039
 48. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई, 600 018
 49. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020
 50. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001
 51. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001
 52. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
 53. वित्त सचिव, हरयाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
 54. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
 55. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
 56. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
 57. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता, 700 001
 58. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मिर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
 59. वित्त सचिव, मणीपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल, 795 001
 60. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
 61. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
 62. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
 63. वित्त सचिव, गोवा-दिव एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
 64. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001
 65. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गान्तांक, 717 101
 66. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून-248 001(सरल क्रमांक 42 से 66 तक 2 प्रतियों सहित)
 67. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लॉक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001 (100 प्रतियां)
 68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, राजकोट 360 001 (100 प्रतियां)
 69. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 (250 प्रतियां)
 70. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 (50 प्रतियां)
 71. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793 001(20 प्रतियां)
 72. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मणीपूर, इम्फाल 795 001 (20 प्रतियां)
 73. प्रधान महालेखाकार,-2, (लेखा एवं हक) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001(75 प्रतियां)